

**राजस्थान सरकार**  
**आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग**

क्रमांक :- प.10(22)आयु./92 पार्ट II

जयपुर, दिनांक : 19 JAN 2017

:- आदेश :-

राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम 1973 के नियम 24(2)(ए) के अन्तर्गत गठित स्कीनिंग समिति के द्वारा कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 1(13)डीओपी/ए-II/90 दिनांक 18.08.2006 से प्रतिष्ठापित उक्त नियमों के नियम 6 के परन्तुक (7) के अनुसार वे व्यक्ति जो दिनांक 06.05.1990 से 31.12.1993 तक सरकार द्वारा तदर्थ/स्थानापन्न/अर्जेंट अस्थायी आधार पर आयुर्वेद हैसियत से अभी भी निरन्तर कार्यरत है, को स्कीनिंग समिति की बैठक दिनांक 21.12.2016 की कार्यवाही विवरण की अभिशंभा/निर्णय के अनुसार निम्नांकित व्यक्तियों की आयुर्वेद चिकित्सक के पद पर उपयुक्तता विनिर्णीत कर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से स्कीन किये जाने के फलस्वरूप इन्हें नियमित किया जाता है :-


क.सं.	नाम चिकित्सक मय पिता/ पति का नाम	जन्म दिनांक	चिकित्सक पद पर कार्यारम्भ दिनांक	स्कीन किये जाने की दिनांक	विशेष विवरण
1	प्रेम सिंह/लालाराम	15-08-1966	31-08-1991	18-08-2008	1. वर्ष 1995-96 के गोपनीय प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टी। 2. कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प 1(40)कार्मिक/ क-3/ 2003 दिनांक 25.09.2008 के द्वारा एक वार्षिक वेतनवृद्धि संघयी प्रभाव से रोके जाने के कारण।
2	सुरेन्द्र कुमार/भगवती प्रसाद	10-10-1964	05-09-1991	18-08-2007	निदेशालय आदेश क्रमांक 16380-83 दिनांक 02.07.1993 के द्वारा दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंघयी प्रभाव से रोके जाने के कारण।
3	अनिल कुमार त्रिपाठी/ बाबूलाल	15-09-1964	10-10-1991	18-08-2010	1. कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प 11(236)कार्मिक/ क-3/93 दिनांक 11.12.1997 के द्वारा तीन वार्षिक वेतनवृद्धि संघयी प्रभाव से रोके जाने के कारण। 2. निदेशालय आदेश क्रमांक 15305-8 दिनांक 28.04.2004 के द्वारा दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंघयी प्रभाव से रोके जाने के कारण।
4	पुरुषोत्तम/प्रमुदयाल	01-02-1966	10-02-1993	18-08-2007	निदेशालय आदेश क्रमांक 42639-42 दिनांक 20.10.1993 के द्वारा दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंघयी प्रभाव से रोके जाने के कारण।
5	घनद्वभान श्रीवास्तव/रामनारायण	01-01-1966	20-07-1993	18-08-2007	निदेशालय आदेश क्रमांक 184-87 दिनांक 01.01.1998 के द्वारा दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंघयी प्रभाव से रोके जाने के कारण।
6	मुरारीलाल शर्मा/चौधमल	02-01-1967	22-07-1993	18-08-2009	1. निदेशालय आदेश क्रमांक 46278-81 दिनांक 22.11.1993 के द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण। 2. निदेशालय आदेश क्रमांक 9018-20 दिनांक 25.02.1995 के द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण। 3. निदेशालय आदेश क्रमांक 44140-44 दिनांक 11.09.1996 के द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण।
7	नरेन्द्र सिंह राजावत/पृथ्वीराज	02-07-1966	23-07-1993	18-08-2008	1. निदेशालय आदेश क्रमांक 18622-25 दिनांक 22.06.1998 के द्वारा दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंघयी प्रभाव से रोके जाने के कारण। 2. निदेशालय आदेश क्रमांक 34259-61 दिनांक 01.09.2003 के द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंघयी प्रभाव से रोके जाने के कारण।

कार्यालय का पता :- मुख्य भवन, कमरा नं. 4205 शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष नं. 0141-5116332

ई-मेल आई.डी. dsayurved@yahoo.in


D:\Ayurved\O P Verma\SANDEEP NEW LETTER DD.doc

स्कीनिंग समिति की अभिशंषा के अनुसार राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक सेवा नियम, 1973 के नियम 6 के परन्तुक (7) के अधीन नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में निरन्तर सेवा की अवधि के अनुसार अवधारित की जायेगी और यदि सेवा की अवधि समान हो तो उनकी पारस्परिक वरिष्ठता अजेन्ट/अस्थाई नियुक्ति के समय चयन की योग्यता के अनुसार अवधारित की जायेगी। ये व्यक्ति राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक सेवा नियम, 2006 के प्रवृत्त होने की तारीख तक नियमित चयन के माध्यम से चयनित और नियुक्त व्यक्तियों से रैंक में सामूहिक रूप से कनिष्ठ होंगे

आज्ञा से  
  
(सीमा कुमार)  
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय राजस्थान-जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय प्रमुख शासन सचिव आयुर्वेद विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
4. उपशासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निदेशक आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर।
6. संबंधित आयुर्वेद चिकित्सक द्वारा निदेशक आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
7. रक्षित पत्रावली।

  
(ओम प्रकाश वनी)  
सहायक शासन सचिव

राजस्थान-सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान-अजमेर

क्रमांकप.1/प्रति1/चिकि./स्कीनिंग/12/2016/1234-48. दिनांक 20-1-17

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन उप सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर।
2. उप निदेशक आयुर्वेद विभाग, अजमेर/भरतपुर/जोधपुर/कोटा।
3. जिला आयुर्वेद अधिकारी, अजमेर/भरतपुर/पाली/नागौर/बारा/सिरोही/बून्दी।
4. वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, छबडा-बारा।
5. प्रभारी, प्रतिष्ठापन (प्रति-1 वरिष्ठता) शाखा आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर।
6. संबंधित आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा जिला आयुर्वेद अधिकारी,.....
7. सामान्य-पत्रावली।

  
(स्नेहलता पंवार)  
निदेशक